



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : + 91 - 7152 - 230902
ई-मेल/E-mail : registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt./N.C.C./2023/14/Vol.II/ 61
दिनांक : 16/01/2026

अधिसूचना

विषय: राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, गणवेश (Uniform), रेजीमेंटल शुल्क एवं प्रशासनिक व्यय के संबंध में।

दिनांक 07.01.2026 को सम्पन्न कार्य-परिषद् की 88 वीं बैठक की मद संख्या- 12 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से प्रारंभ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) इकाई की अकादमिक एवं प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों में एन.सी.सी. कैडेट एवं विद्यार्थी के हित को दृष्टिगत रखते हुये विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रभावना एवं शारीरिक सुदृढ़ता के संवर्धन हेतु एन.सी.सी. इकाई के लिए प्रशिक्षण, गणवेश, रेजीमेंटल शुल्क एवं प्रशासनिक व्यय विश्वविद्यालय के आंतरिक राजस्व सृजन (Internal Revenue Generation) से किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
16/01/26

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रभारी
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
4. लैफ्टिनेंट (डॉ.) अनिकेत आंबेकर, एसोशिएट एन.सी.सी. ऑफिसर
5. कुलसचिव कार्यालय
6. वित्ताधिकारी कार्यालय
7. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
8. अन्य समस्त प्रशासनिक विभाग/ अनुभाग/ कार्यालय/ प्रकोष्ठ
9. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. रक्षित पत्रावली।